□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
□□□□ि□□ प्रश्न □ख□□ : 281
12 □□□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□प्रश्न □□ □त्त□

एमबीबीएस डॉक्टरों को कमी

*281. डॉ॰ मोहम्मद जावेदः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या देश म एमबीबीएस डॉक्टरों को कमी है और यदि हां, तो बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देशभर म विभिन्न चिकित्सा संस्थानों/महाविद्यालयों म सीटों को संख्या बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गए ह; और

(ग) यदि हां, तो विगत दो वर्षों एवं चालू वष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

□त□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्री□ (□□. □□ □□□)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 12 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 281 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): भारतीय आर्युविज्ञान परिषद द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31 माच, 2019 तक भारत म राज्य चिकित्सा परिषद/ भारतीय आर्युविज्ञान परिषद के तहत कुल 11,59,309 एलोपैथिक चिकित्सक पंजीकृत ह। चिकित्सकों को 80% उपलब्धता मानते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 9.27 लाख चिकित्सक सक्रिय सेवा के लिए वास्तविक रूप से उपलब्ध होंगे। यह वतमान म अनुमानित 1.35 बिलियन जनसंख्या के अनुसार चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:1456 है, जो कि 1:1000 के डब्ल्यूएचओ मानदंड से कम है। राज्य चिकित्सा परिषदों/ भारतीय आर्युविज्ञान परिषद के साथ पंजीकृत ऐलोपैथिक डॉक्टरों को संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है।

इसके अलावा, देश म 7.88 लाख आयुवद, यूनानी और होम्योपैथी डॉक्टर ह। 80% उपलब्धता मानते हुए यह अनुमान है कि लगभग 6.30 लाख आयुवद,यूनानी और होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सक सक्रिय सेवा के लिए वास्तविक रूप से उपलब्ध ह और एलोपेथिक डॉक्टरों के साथ मिलाकर देखा जाए तो चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:867 बनता है, जो कि डब्ल्यूएचओ मानदंड से बेहतर है।

(घ): सरकार ने देश भर म विभिन्न चिकित्सीय शैक्षणिक संस्थानों/ मेडिकल कॉलेजों म सीटों को संख्या बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए ह, जिनम निम्नलिखित शामिल ह:-

स्नातक सीटों [illegible]:-

i. एमबीबीएस स्तर पर प्रवेश को अधिकतम क्षमता को 150 से बढ़ाकर 250 कर दिया जाना।
ii. भूमि, फैकल्टी, स्टाफ, बिस्तर संख्या तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार मेडिकल कालेज स्थापित किए जाने के मानकों म छूट देना।
iii. महानगरों म मेडिकल कॉलेज को स्थापना के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243पी(सी) म यथा अधिसूचित भूमि को न्यूनतम शत को हटा दिया गया है।
iv. एमबीबीएस सीटों म वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार/ कद्र सरकार के विद्यमान मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण/ उन्नयन।
v. मुख्य रूप से देश के अल्पसेवित जिलों म जिला/ रेफरल अस्पतालों से सम्बद्ध नएमेडिकल कालेजों को स्थापना।

स्नातकोत्तर सीटों [illegible]:-

i. सरकार द्वारा निधि पोषित मेडिकल कॉलेजों और 15 वष से कायम निजी मेडिकल कॉलेजों म सभी एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुपात को प्रोफेसर के लिए 1:1 से बढ़ाकर1:2 तथा सभी क्लिनिकल विषयों म इस अनुपात को 1:1 से बढ़ाकर 1:3 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा निधि पोषित मेडिकल कॉलेजों और 15 वष से कायम निजी मेडिकल कॉलेजों म उक्त अनुपात को सभी नैदानिक विषयों म एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1:1 से बढ़ाकर 1:2 और यदि एसोसिएट प्रोफेसर यूनिट अध्यक्ष है वहां इसे 1:1 से बढ़ाकर 1:3 कर दिया गया है। इससे देश म स्नातकोत्तर सीटों को संख्या म वृद्धि होगी।

ii. फैकल्टी को कमी को ध्यान म रखते हुए फैकल्टी के रूप म नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दे दी गई है।

iii. मेडिकल कालेजों म शिक्षकों/डीन/प्रधानाचाय/ निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/ पुन:रोजगार के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वष किया जाना।

iv. नए पीजी पाठ्यक्रमों को शुरू करने/ पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण/ उन्नयन।

v. विनियमनों को संशोधित करते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए यह अनिवाय कर दिया गया है कि वे अपनी एमबीबीएस मान्यता/ मान्यता को जारी रखने को तारीख से तीन वष के भीतर पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ कर।

vi. कॉलेजों को चौथे नवीकरण के समय क्लिनिकल विषयों म पीजी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने को अनुमति दी गई है, इससे पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने को प्रक्रिया एक वष से भी अधिक समय पहले शुरू को जा सकेगी।

पिछले दो वर्षों व चालू वष के दौरान बढ़ाई गई यूजी व पीजी सीट निम्न प्रकार से ह :-

वष	यूजी सीट	पीजी सीट
2017-18	2340	4965
2018-19	2910	1765
2019-20	10565	2153

□□□य□

31 □□□, 2019 के अनुसार राज्य चिकित्सा परिषद/भारतीय □□ि□ज्ञ□□ परिषद म पंजीकृत डॉक्टरों को संख्या

क्र.□□	□ज□ □□ □□□	□□□□□ □क□□ों □ो □ख□□
1.	आंध्र प्रदेश	100587
2.	अरुणाचल प्रदेश	973
3.	असम	23902
4.	बिहार	40649
5.	छत्तीसगढ़	8771
6.	दिल्ली	21394
7.	गोवा	3840
8.	गुजरात	66944
9.	हरियाणा	5717
10.	हिमाचल	3054
11.	जम्मू और कश्मीर	15038
12.	झारखंड	5829
13.	कनाटक	122875
14.	मध्य प्रदेश	38180
15.	महाराष्ट्र	173384
16.	केरल	59353
17.	मिजोरम	74
18.	नगालड	116
19.	ओडिशा	22521
20.	पंजाब	48351
21.	राजस्थान	43388
22.	सिक्किम	1405
23.	तमिलनाडु	135456
24.	उत्तर प्रदेश	77549
25.	उत्तराखंड	8617
26.	पश्चिम बंगाल	72016
27.	त्रिपुरा	1718
28.	तेलंगाना	4942
29.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद *	52666
	□□	11,59,309

नोट - अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पास अपनी चिकित्सा पंजीकरण परिषद नहों है। इसलिए इनके कर्मा अन्य पड़ोसी राज्यों को परिषदों म पंजीकरण कराते ह।

* 52666 चिकित्सक केवल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद म पंजीकृत थे। संभवत: वे देश म कहों और या उन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों म काय कर रहे ह जिनके पास चिकित्सा रजिस्टर नहों है।

*****